



संख्या- / जी०एस० / शिक्षा / A4-173 / 2019

प्रेषक,

रमेश कुमार सुधांशु,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय,
सुद्धोवाला, देहरादून।

राज्यपाल / कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड :

देहरादून : दिनांक : 11 सितम्बर, 2019

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या-1584, दिनांक 19-08-2019 एवं पत्रांक-1585, दिनांक 19-08-2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा "आम्प्रपाली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मैसी एण्ड साइंसेज, शिक्षानगर, लामाचौड़, हल्द्वानी" को बी०फार्मा० पाठ्यक्रम में सत्र 2019-20 की नवीन अस्थाई सम्बद्धता का प्रस्ताव कुलपति, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय की संस्तुति के साथ इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2- यू०जी०सी० विनियमों के अनुसार वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर सम्बद्धता निर्गत किये जाने के निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल, कुलसचिव व कुलपति, यू०टी०यू० की संस्तुति के दृष्टिगत उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (यथा संशोधित) की धारा-24(2) के अन्तर्गत उक्त संस्थान को बी०फार्मा० पाठ्यक्रम में 60 सीटों की सत्र 2019-20 के नवीन अस्थाई सम्बद्धता हेतु मा० कुलाधिपति द्वारा पूर्व स्वीकृति/पुर्वानुमोदन इस उपबन्ध के साथ प्रदान किया गया है कि संस्थान द्वारा यू०जी०सी० विनियमों/नियामक संस्थान के मानकों को पूर्ण करने की दशा में कार्यपरिषद अन्तिम निर्णय लेते हुए विश्वविद्यालय स्तर से नवीन अस्थाई सम्बद्धता सत्र 2019-20 हेतु आदेश जारी करेगी व सम्बद्धता आदेश के तीन माह के भीतर विश्वविद्यालय द्वारा फैंकल्टी अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा व तत्सम्बन्धी कार्यवाही की सूचना मा० कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ भी उपलब्ध कराई जाय।

3- अग्रेत्तर सत्रों के प्रस्ताव यथा समयसारिणी प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा।

4- तदनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

(रमेश कुमार सुधांशु)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या-2108 (1) / जी०एस० / शिक्षा / A4-173 / 2019 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
3. सचिव/निदेशक, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, 07वां तल चन्द्रलोक बिल्डिंग, जनपथ, नई दिल्ली।
4. प्राचार्य/प्रबन्धक, उपरोक्त सम्बन्धित संस्थान/कॉलेज।
5. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(विक्रम सिंह यादव)
कुलाधिपति के संयुक्त सचिव।